24.9.2021
8/10/21

राजस्थान – सरकार

-: न्यायालय का नाम :-

तहसीलदार (राजस्व), नोहर

नाम सीगा	नम्बर रजिस्टर	तारीख दायरा	तारीख फैसला	तादाद कागजात क	ख	योग	नं० रजि० मुहा०
धारा 22	20/2021	15-9-2021					

	ब	पतराम पुत्र हुकमाराम
सरकार	ना	जाति जाट सा. रवररवण्डी
	म	वगै.

(श्री वकील) (श्री वकील)

फहरिस्त कागजात

नवम्बर शुमार	तारीख शामिल	विवरण कागजात	तादाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Kiroriwal
Date: 2021.11.11 17:31:40 IST
Reason: SelfAttested

फर्द अहकाम

(नियम 15)

अज अदालत तहसीलदार (राजस्व) मुकाम नोहर स्टेट बनाम पतराम पुत्र हुक्माराम जाति जाट साकिन खरसण्डी वगै0 किस्म मुकदमा धारा 22 उप0 अधि0 1954 मु0नं0 20 ...सन् 2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
13/09/.2021	पटवारी हल्का ललानिया द्वारा ग्राम खरसण्डी के अप्रार्थीगण सं0 1 पतराम पुत्र हुक्माराम जाति जाट साकिन खरसण्डी द्वारा गै0मु0 चारागाह की भूमि खसरा नं. 26 की कुल 2.529 है0 मे से 0.253 है0 बाजरी एवं 0.126 है0 मे नरमा, 2 बलवीर पुत्र जसवंत, मनफूल पुत्र नन्दराम जाति जाट साकिन खरसण्डी द्वारा गै0मु0 चारागाह की भूमि खसरा नं. 26 की कुल 2.529 है0 मे से 0.253 है0 नरमा संवत् 2078 खरीफ फसल काश्त कर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट पेश करने पर पत्रावली पेशी में ली गयी। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को राज. उप. अधि. 1954 की धारा 22 के तहत नोटिस जारी किया जावे एवं गिरदावर हल्का जबरासर को खडी फसल कुर्क करने हेतु लिखा जाकर पत्रावली दिनांक 24.09.2021 को पेश हो। अ/	
24/9/21	पत्रावली पेशी मे ली गयी। अप्रार्थीगण की नोटिस तामील [illegible] जो शामिल पत्रावली किया गया। ILR से कुर्की रिपोर्ट अप्राप्त रिपोर्ट के इन्तजार मे पत्रावली दि० 8/10/21 को पेश हो। अ/	
8/10/2021	पत्रावली पेशी मे ली गयी। ILR द्वारा कुर्की रिपोर्ट पेश जो शामिल पत्रावली की गयी। [illegible] [illegible] हेतु [illegible] लिखा जाकर [illegible] पेश हो। अ/	

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Kiroriwal
Date: 2021.11.11 17:31:40 IST
Reason: SelfAttested

28.10.2021	पत्रावली पेशी में ली गई। भू.अभि.निरीक्षक से फर्द निलामी रिपोर्ट दिनांक 25.10.2021 को प्राप्त जो सामिल पत्रावली की गई। छोटुराम पुत्र मनीराम जाति जाट साकिन खरसण्डी ने 2450 रूपए की लगाई जो बाद अनुमोदन दिनांक 25.10.2021 को स्वीकृत कर सामिल पत्रावली की गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया अप्रार्थीगण को जारी नोटिय स्वंय से बाद तामिल होकर प्राप्त हुआ है फिर भी अप्रार्थीगण हाजिर नही बार-बार आवाजे लगवाई फिर भी अप्रार्थीगण हाजिर नही। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्व एक तरफा कार्यवाही अमल मे लाई जाती है पटवारी हल्का द्वारा अप्रार्थीगण 1 पतराम पुत्र हुक्माराम जाति जाट साकिन खरसण्डी द्वारा गै0मु0 चारागाह की भूमि खसरा नं. 26 की कुल 2.529 है0 मे से 0.253 है0 बाजरी एवं 0.126 है0 मे नरमा, 2 बलवरी पुत्र जसवंत, मनफूल पुत्र नन्दराम जाति जाट साकिन खरसण्डी द्वारा गै0मु0 चारागाह की भूमि खसरा नं. 26 की कुल 2.529 है0 मे से 0.253 है0 नरमा खरीफ फसल नाजायज काश्त करने की रिपोर्ट प्रमाणित होती है। अतः प्रश्नगत भूमि पर अतिक्रमण करने के कारण अप्रार्थीगण को अतिक्रमी घोषित किया जाता है तथा भू.राजस्व का 50 गुणा के बराबर तावान राशि लगभग 50 रू0 से दण्डित किया जाता है। भू.अभि. निरीक्षक को अलग से आदेश दिये जाते है कि अतिकमी को प्रश्नगत भूमि से बेदखल किया जाकर पालना रिपोर्ट सात योम में भिजवाये। पटवारी हल्का/तहसील राजस्व लेखाकार को आदेशित किया जाता है कि तावान की मांग कायम कर वसूली कर रिपोर्ट प्रस्तुत करे। निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 28.10.2021 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया। तहसीलदार(राजस्व) नोहर	

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Kiroriwal
Date: 2021.11.11 17:31:40 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय तहसीलदार (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी तहसीलदार (राजस्व) नोहर

प्रकरण संख्या 20 सन् 2021

राज.सरकार

बनाम

पतराम पुत्र हुक्माराम जाति जाट साकिन खरसण्डी वगे0

अन्तर्गत धारा 22 राज. उप. अधिनियम 1954

निर्णय दिनांकः— 28.10.2021

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि पटवारी हल्का ललानिया ने एक रिर्पोट पी 14 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थीगण 1 पतराम पुत्र हुक्माराम जाति जाट साकिन खरसण्डी द्वारा गै0मु0 चारागाह की भूमि खसरा नं. 26 की कुल 2.529 है0 मे से 0.253 है0 बाजरी एवं 0.126 है0 मे नरमा, 2 बलवरी पुत्र जसवंत, मनफूल पुत्र नन्दराम जाति जाट साकिन खरसण्डी द्वारा गै0मु0 चारागाह की भूमि खसरा नं. 26 की कुल 2.529 है0 मे से 0.253 है0 नरमा की नाजायज काश्त कर अतिक्रमण कर लिया है पटवारी हल्का की रिर्पोट प्राप्त होने पर अप्रार्थीगणों के विरूद्व अन्तर्गत धारा 22 राज.उप. अधिनियम 1954 का प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगणों को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु राज.उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22 के तहत नोटिस दिया गया अप्रार्थीगण स्वंय से तामिल होकर प्राप्त हुआ है जो शामिल पत्रावली किया गया।

पत्रावली का पूर्ण अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण को बार—बार आवाजे लगवाई फिर भी अप्रार्थीगण उपस्थित नहीं। अप्रार्थीगण के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। पटवारी हल्का ललानिया द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्व प्रश्नगत भूमि पर नाजायज काश्त करने की रिपोर्ट प्रमाणित होती है। अतः अप्रार्थीगण द्वारा प्रश्नगत भूमि पर नाजायज अतिक्रमण करने के कारण अतिक्रमी घोषित किया जाता है। भू0अ0नि0 जबरासर को मौके से नाजायज अतिक्रमण को हटा कर अप्रार्थीगण को बेदखल करने हेतु आदेश जारी हो। अप्रार्थीगण को भू—राजस्व दर का 50 गुणा के बराबर तावान राशि लगभग रू. 50/— से दण्डित किया जाता है।

भू अभिलेख निरीक्षक हल्का जबरासर द्वारा कुर्क शुदा फसल को दिनांक 21.10.2021 को कुर्क शुदा फसल को निलाम किया गया उच्चतम बोली छोटुराम पुत्र मनीराम जाति जाट साकिन खरसण्डी ने 2450 रूपए लगाई जो स्वीकृत की जाती हैं एवं अलग से आदेश जारी हो कि अतिक्रमीयों को मौके से बेदखल कर रिर्पोट पेश करे।

तहसील राजस्व लेखाकार एवं पटवारी हल्का को क्रमशः मांग कायमी एवं वसूली हेतु अलग से आदेश जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 28.10.2021 को मेरे द्वारा लिखवाकर सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Kiroriwal
Date: 2021.11.11 17:31:40 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार (राजस्व) नोहर
जिला हनुमानगढ

कार्यालय तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ

क्रमांक / राजस्व / 2021 / 1183 दिनांकः 28.10.2021

आदेश

इस न्यायालय के प्रकरण संख्या 20 / 2021 में निर्णय दिनांक 28.10.2021 के द्वारा अप्रार्थीगण सं0 1 पतराम पुत्र हुक्माराम जाति जाट साकिन खरसण्डी द्वारा गै0मु0 चारागाह की भूमि खसरा नं. 26 की कुल 2.529 है0 मे से 0.253 है0 बाजरी एवं 0.126 है0 मे नरमा, 2 बलवरी पुत्र जसवंत, मनफूल पुत्र नन्दराम जाति जाट साकिन खरसण्डी द्वारा गै0मु0 चारागाह की भूमि खसरा नं. 26 की कुल 2.529 है0 मे से 0.253 है0 नरमा नाजायज काश्त करने की पटवारी हल्का की रिर्पोट प्राप्त होने पर अतिक्रमी घोषित किया जाकर भू0अ0नि0 जबरासर को अतिक्रमी को बेदखली आदेश दिया गया है तथा जुर्माना स्वरूप राशि 50 रूपये से तावान दण्डित किया गया है।

अतः उक्त अतिक्रमी को विवादित भूमि में किसी न्यायालय का स्थगन आदेश आदि नहीं है तो तुरन्त नियमानुसार बेदखल कर पालना रिपोर्ट सात दिवस में प्रस्तुत करे।

तहसीलदार (राजस्व)
नोहर

क्रमाक / राजस्व / 2021 / 1183 दिनांकः– 28.10.2021

प्रतिलिपिः–निम्न को पालनार्थ प्रेषित हैः–

1. तहसील राजस्व लेखाकार मांग कायमी हेतु।
2. भू.अभिलेख निरीक्षक जबरासर को भेजकर लेख है कि अतिक्रमी को मौके से बेदखल कर पालना रिपोर्ट सात योम में प्रस्तुत करें।
3. पटवारी हल्का ललानिया को भेजकर लेख है कि तावान की वसूली कर बेदखली की कार्यवाही करे।

तहसीलदार (राजस्व)
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Kiroriwal
Date: 2021.11.11 17:31:40 IST
Reason: SelfAttested

प्रारूप—क

(देखिये नियम 3)

राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम, 1954 की धारा 22 के अधीन नोटिस

तहसीलदार (राजस्व) तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ के न्यायालय में मिसलेनियस केस संख्या 20 सम्वत् 2078 सरकार बनाम बलवीर पुत्र जसवन्त, जाति जाट सा. खरसण्डी
✓ मनफूल पुत्र चन्दराम जाति जाट सा. खरसण्डी
तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़

अतः आपने ग्राम खरसण्डी के ख. नं. 26 गै.मु. चारागाह की भूमि पर 0.2536 हे. नरमा की फसल काश्त की है

संवत् 2078 खरीफ फसल काश्त कर अतिक्रमण अनधिभोगी सरकारी भूमि पर अतिचार किया है।

एतद् द्वारा आपको नोटिस दिया जाता है कि आपको दिनांक 24/09/21 से पूर्व उक्त भूमि खाली कर देनी चाहिए या आपको व्यक्तिगत रूप से स्वयं या किसी प्लीडर द्वारा दिनांक के दिन समय 11 बजे हाजिर होना चाहिए और कारण बताना चाहिए कि क्यों नहीं आपको उससे बेदखल कर दिया जावें।

आपसे यह कारण बताया जाना भी आपेक्षित है कि सम्वत् 2078 के दौरान उक्त भूमि पर विचार करने के लिए वार्षिक लगान या कर निर्धारण, यथा स्थिति, को 50 गुनी तक शास्ति क्यों नही अधोरोपित की जावें।

यह ओर नोटिस दिया जावें कि आपने गत कृशि वर्श में उसी भूमि पर अधिकार किया था। यह नोटिस आपका वर्ष 2078 में हुए पचावर्ती अतिचार के संबंध में दिया जा रहा है। आपसे यह कारण बताया जाना भी आपेक्षित है कि क्यों नही आपको ऐसी अवधि के लिए सिविल कारागार के सुपूर्द कर दिया जाये व वार्षिक लगान या कर विवरण यथा स्थिति को 50 गुना तक शास्ति का संदाय करें।

यह नोटिस भी दिया जाता है कि उक्त तिथि को आपको हाजिर न होने पर, मामला आपकी अनुपस्थिति में विनि चत किया जायेगा।

आज दिनांक 15/09/21 को दिन मेरे द्वारा हस्ताक्षारित एवं न्यायालय की मुद्रा अंकित की गई ।

(राज्य सरकार द्वारा अधिकृत)
तहसीलदार (राजस्व)
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Kiroriwal
Date: 2021.11.11 17:31:40 IST
Reason: SelfAttested

२१५।१
८१।१०।२१

20/2021

फर्द कुर्की एवं सुपुर्दगीनामा

आज दिनांक : - 8/10/2021 को श्रीमान तहसीलदार साहब

नोहर के आदेशानुसार अतिक्रमी श्री पतराम पुत्र श्री डुम्माराम वगैरह

जाति जाट निवासी खरसण्डी की चल / अचल संपति पतराम पुत्र डुम्माराम जाति जाट सा. खरसण्डी खसरा न. 26 गै. मु. चारागाह पर 0.253 हे बाजरा एवं 0.126 हे नरमा (2) बलबीर पुत्र जसवन्त, मनफूल पुत्र नन्दराम जाति जाट सा. खरसण्डी खसरा 26 गै. मु. चारागाह पर 0.253 हे नरमा की फसल को

को कुर्क कर बहक सरकार ली गई एवं पाबंद किया कि कुर्क शुदा संपति खुर्द बुर्द न करे अन्यथा पुलिस कार्यवाही की जावेगी।

उक्त कुर्क संपति श्री .... पुत्र श्री .... जाति ....

निवासी .... राजेन्द्र सिंह पटवारी प.ह. भलानिया की सुपुर्दगी मे देकर हिदायत दी गई कि कुर्क संपति खुर्द बुर्द हो तो रिपोर्ट करे।

तहरीर पढ़कर सुनाकर हस्ताक्षर कराये गए।

Om
8/10/2021

भू0अ0नि0
8-10-2021

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Kiroriwal
Date: 2021.11.11 17:31:40 IST
Reason: SelfAttested

मि. नं. 20/21

फर्द निलामी

आज दिनांक 21/10/2021 को श्रीमान् तहसीलदार मोहदय नोहर के आदेश कमांक /राजस्व/21/980 दिनांक 8/10/2021 की पालना में ग्राम खरसण्डी के खसरा नं. 26 की गै. मु. चारागाह भूमि में फसल बाजरी .2336 है. ग्वार नरमा 0.379 है. नाजायज कास्त निम्नाकिंत व्यक्तियों (1) पतराम पुत्र हुक्माराम जाति जाट सा. खरसण्डी, (2) बलवीर पुत्र जसवन्त, मनफुल पुत्र नन्दराम जाति जाट सा. खरसण्डी

द्वारा की गई थी। को बहक सरकार कुर्क कर लिया गया था। उक्त फसल की निलामी हेतु सार्वजनिक सुचना जारी कर ग्राम के मोतबिरान के रूबरू निलामी बुलाई गई वर्तमान में फसल कम वर्षा के कारण कमजोर है ।

निम्नाकित वक्तियो नें उपरोक्त फसल की बोली निम्नानुसार लगाई है।

क. स.	बोलीदाता	बोली की राशी I	II
1.	श्री टिकुराम पुत्र श्री अर्जनराम जाति कुम्हार साकिन खरसण्डी	1500	2000
2.	श्री निमाराम पुत्र श्री जसवन्त जाति जाट साकिन खरसण्डी	1600	2150
3.	श्री प्रताप पुत्र श्री मलाराम जाति जाट साकिन खरसण्डी	1750	2200
4.	श्री छोडुराम पुत्र श्री मनीराम जाति जाट साकिन खरसण्डी	1900	2450

उपरोक्त में श्री छोडुराम पुत्र श्री मनीराम जाति जाट साकिन खरसण्डी की बोली उच्चतम रही है। अतः उक्त के नाम फसल निलामी छोड़ी गई है।

छोडुराम

छोडुराम

अ.मा.
भू. अ. किशनपुरा
21-10-2021

21/10/2021
राजस्व पटवारी
प.ह. ललानिया

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Kiroriwal
Date: 2021.11.11 17:31:40 IST
Reason: SelfAttested

25/10/21

कार्यालय तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ

क्रमांक / राजस्व / 2021 / 1183 दिनांकः 28.10.2021

आदेश

इस न्यायालय के प्रकरण संख्या 20 / 2021 में निर्णय दिनांक 28.10.2021 के द्वारा अप्रार्थीगण सं0 1 पतराम पुत्र हुक्माराम जाति जाट साकिन खरसण्डी द्वारा गै0मु0 चारागाह की भूमि खसरा नं. 26 की कुल 2.529 है0 मे से 0.253 है0 बाजरी एवं 0.126 है0 मे नरमा, 2 बलवरी पुत्र जसवंत, मनफूल पुत्र नन्दराम जाति जाट साकिन खरसण्डी द्वारा गै0मु0 चारागाह की भूमि खसरा नं. 26 की कुल 2.529 है0 मे से 0.253 है0 नरमा नाजायज काश्त करने की पटवारी हल्का की रिर्पोट प्राप्त होने पर अतिक्रमी घोषित किया जाकर भू0अ0नि0 जबरासर को अतिक्रमी को बेदखली आदेश दिया गया है तथा जुर्माना स्वरूप राशि 50 रूपये से तावान दण्डित किया गया है।

अतः उक्त अतिक्रमी को विवादित भूमि में किसी न्यायालय का स्थगन आदेश आदि नहीं है तो तुरन्त नियमानुसार बेदखल कर पालना रिपोर्ट सात दिवस में प्रस्तुत करे।

तहसीलदार (राजस्व)
नोहर

क्रमाक / राजस्व / 2021 / 1183 दिनांकः– 28.10.2021

प्रतिलिपिः–निम्न को पालनार्थ प्रेषित हैः–

1. तहसील राजस्व लेखाकार मांग कायमी हेतु।
2. भू.अभिलेख निरीक्षक जबरासर को भेजकर लेख है कि अतिक्रमी को मौके से बेदखल कर पालना रिपोर्ट सात योम में प्रस्तुत करें।
3. पटवारी हल्का ललानिया को भेजकर लेख है कि तावान की वसूली कर बेदखली की कार्यवाही करे।

तहसीलदार (राजस्व)
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Kiroriwal
Date: 2021.11.11 17:31:40 IST
Reason: SelfAttested